Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./3853/2004/नागौर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर।

-- अपीलांट

बनाम

1. मोहनराम पुत्र हरका (मृतक) जरिये वारिस :-
   1.1 राजूराम दत्तक पुत्र मोहनराम, जाति तेली, निवासी ग्राम कुचेरा, तहसील व जिला नागौर।

-- रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री शंकर लाल शर्मा, सदस्य

उपस्थित :-
(1) श्री वी.पी.सिंह, राजकीय अधिवक्ता अपीलांट।
(2) श्री जी.एस.लखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांक : 26 फरवरी, 2018

यह अपील धारा 224, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 136/2003 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05-6-2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2- अपील के संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, नागौर के समक्ष प्रत्यर्थी-वादी ने एक वाद घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती रिकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया कि खेत खसरा नं0 हाल 626 वाके सरहद मौजा कुचेरा की 15 बीघा भूमि पर वादी का कब्जा काश्त संवत 2000 से लगातार चलता आया है और उसी में उसका रहवास भी है, इसलिए उसे वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 23-4-2003

से वादग्रस्त आराजी की किस्म गैर मुमकिन अंगोर मानते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 05-6-2004 के द्वारा अपील स्वीकार कर वादी का वाद डिक्री कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई।

4- विद्वान राजकीय अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि खसरा नं0 626 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से ही नाडी तैलण्डा दर्ज थी, इस कारण यह भूमि सार्वजनिक उपयोग की होने के कारण उस पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने से उसे सही रूप से गैर मुमकिन अंगोर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया, इसलिए धारा 16, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादी उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था और ना ही संवत 2000 से या अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व अथवा बाद में वादी का कब्जा प्रमाणित है। कुछ वर्षों में उसका कब्जा एक अतिक्रमी की हैसियत से है और अतिक्रमी के पक्ष में घोषणा, खातेदार व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी नहीं की जा सकती है। उनका तर्क है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी ने अपने वाद पत्र के साथ मात्र खसरा गिरदावरी एवं खसरा परिवर्तनशील पेश किये है, जो दोनों ही दस्तावेजी रिकार्डस् ऑफ राईट की परिभाषा में नहीं आते। इसलिए राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23-4-2003 की पुष्टि की जावे।

5– बहस के प्रत्युत्तर में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी पर उनका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व से लगातार कब्जा चला आ रहा है और अपीलांट के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही समय समय पर होती रही है, लेकिन राजस्व अधिकारियों ने रिकार्ड में दुरूस्ती नहीं की, जबकि अन्य कई लोगों के नाम ऐसी अंगोर की भूमियों को पुरातन कब्जा और मौके की स्थिति के अनुसार नियमन किया जाचुका है। वादग्रस्त आराजी के आस पास किसी प्रकार का सार्वजनिक तालाब नहीं है और ना ही भूमि सार्वजनिक उपयोग व उपभोग की है, परन्तु रिकार्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही की जाती रही है। प्रत्यर्थी का वादग्रस्त आराजी पर अधिनियम लागू होने से पूर्व से कब्जा होने के कारण वह खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो चुका है। इसलिए उसे वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावै।

6– हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7– हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी की मुख्य दलील यह है कि वादग्रस्त आराजी पर उनका संवत 2000 के आस पास अर्थात काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है और वादग्रस्त भूमि के आस पास की भूमि को नियमन किया जा चुका है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड खसरा परिवर्तनशील संवत 2043 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भूमि की किस्म अंगोर दर्ज है, इसके अलावा प्रत्यर्थी की ओर से स्वयं जो खसरा परिवर्तनशील व खसरा गिरदावरियां पेश की गई है,उनमें भूमि की किस्म गैर मुमकिन अंगोर दर्ज है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि गैर मुमकिन अंगोर की भूमि पर धारा 16, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदार अधिकार प्रदान करने पर प्रतिबंध है और ऐसी भूमि को सार्वजनिक उपयोग की भूमि

माना गया है। प्रत्यर्थी की ओर से राजस्व अभिलेख जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की गई है। जो खसरा गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील पेश किये गये है, वे रिकार्ड ऑफ राईट की परिभाषा में नहीं आते है। वादग्रस्त आराजी की किस्म अंगोर है, जिस पर प्रत्यर्थी की स्थिति एक अतिक्रमी की है और अतिक्रमी को अतिक्रमित की गई भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने नियमों के विपरीत जाकर प्रत्यर्थी के पक्ष में खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है, जो विधि विरूद्ध होने से उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। इसलिए राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

8– फलतः उपरोक्त तथ्यात्मक व विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05–6–2004 निरस्त की जाकर सहायक कलक्टर, नागौर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–4–2003 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शंकर लाल शर्मा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष